इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 10] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 8 मार्च 2019—फाल्गुन 17, शक 1940

भाग ४

विषय-सूची

(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक.
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम.
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अन्तिम नियम.

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अन्तिम नियम

महिला एवं बाल विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 अप्रैल 2018

एफ क्र. 1 (बी) 01-2017-पचास-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश महिला एवं बाल विकास तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक) सेवा भर्ती

नियम, 2009 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में, —

(1) अनुसूची— एक में, कॉलम (1) में, अनुक्रमांक 14 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

अनुक्रमांक	सेवा में सम्मिलित पद का नाम	पदों की कुल संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
14.	पर्यवेक्षक	3409	तृतीय श्रेणी	5200—20200+ग्रेड पे 2400	—"—

(2) अनुसूची— दो में, कॉलम (1) में, अनुक्रमांक 14 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

विभाग का नाम	पद की सेवा का नाम	पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले पदों की संख्या की प्रतिशतता			अभ्युक्ति (पद का नया नाम)
			सीधी भर्ती द्वारा	सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा	अन्य सेवाओं से व्यक्तियों के अस्थायी स्थानां. / प्रतिनियुक्ति द्वारा	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
14. महिला एवं बाल विकास	पर्यवेक्षक	3409 (नियमित)	100 प्रतिशत में से (50प्रतिशत ऑगनवाडी कार्यकर्ताओं से सीमित चयन सीधी भर्ती द्वारा) 50 प्रतिशत सीधी भर्ती में से (10 प्रतिशत पद पुरूष अभ्यर्थियों द्वारा एवं शेष पद महिला अभ्यर्थियों द्वारा भरे जावेंगे)पुरूष पर्यवेक्षकों की भर्ती केवल पहाड़ी, दुर्गम एवं वनाच्छादित क्षेत्रों हेतु नियुक्त किये जायेंगे।	—	—	नियमित पर्यवेक्षकों के पद के रूप में 2855पर्यवेक्षक कार्यरत तथा संविदात्मक पर्यवेक्षक (डाइंग केडर) के रूप में 554पर्यवेक्षक कार्यरत हैं। कुल पर्यवेक्षक 3409 हैं, जैसे और जब संविदात्मक पर्यवेक्षक के पद रिक्त होंगें, वे नियमित पर्यवेक्षकों के पद में परिवर्तित हो जायेंगे।

(3) अनुसूची-तीन में, कॉलम (1) में, अनुक्रमांक 5 के सामने, कॉलम (2) में, मद (2) तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित मद तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

अनुक्रमांक	पद का नाम	विहित आयु सीमा		पद हेतु शैक्षणिक अर्हता
		न्यूनतम	अधिकतम	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5.	(2) पर्यवेक्षक	18 वर्ष	25 वर्ष (महिलाओं के लिये) 25 वर्ष (पुरूषों के लिये)	(क) मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल परीक्षा से उच्चतर माध्यमिक प्रमाण-पत्र या 10+2 (12वीं) आंगनवाडी कार्यकर्ताओं के लिये। (ख) सीधी भर्ती के लिये, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि । (ग) ऑगनवाडी कार्यकर्ता के रूप में 5 वर्ष का कार्य करने का अनुभव । (घ) अनुभवी कार्यरत संविदात्मक पर्यवेक्षक के प्रत्येक कार्य वर्ष पूर्ण करने के लिये चार अंक अतिरिक्त दिये जायेंगे तथा पांच वर्ष या उससे अधिक कार्य के अनुभव के लिये अधिकतम 20 अंक के साथ प्रत्येक पूर्ण कार्य वर्ष के लिये चार अंक दिये जायेंगे।

टीप–1 : महिला एवं बाल विकास विभाग के आदेश क्र. 1(बी)6/2009/50–1, दिनांक 28.2.2014 के अनुरूप तथा कार्यरत संविदात्मक पर्यवेक्षकों को परीक्षा में बैठने के लिए आयु सीमा में पूर्ण शिथिलीकरण दिया जाएगा तथा नियमित संवर्ग में चयन किया जायेगा। मंत्रि–मण्डल निर्णय दिनांक 18.02.2014 के संदर्भ में इन पदों के लिये कोई आयु सीमा नहीं होगी।

टीप–2 : सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 12.05.2017 के अनुसार मध्यप्रदेश के मूल निवासियों के लिए अधिकतम आयु में छूट निम्नवत् होगी :–

अनुक्रमांक	सीधी भर्ती द्वारा	मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा भरे गए राजपत्रित/अराजपत्रित/ कार्यपालिक पदों के लिए	वर्ग तीन तथा वर्ग चार के पदों के लिए (म.प्र. लोक सेवा आयोग से भिन्न भरे गए)
1.	पुरूष आवेदक (अनारक्षित)	28+12=40	25+15=40
2.	महिला आवेदक (अनारक्षित)	28+17=45	25+20=45
3.	पुरूष/महिला आवेदक (निगम /मण्डल/स्वशासी एजेंसी तथा नगर सैनिक के कर्मचारी)	28+17=45	25+20=45
4.	पुरूष/महिला आवेदक (आरक्षित वर्ग/अनु.जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग)	28+17=45	25+20=45

5	पुरूष/महिला आवेदक (आरक्षित वर्ग/शासकीय निगम/मण्डल /स्वशासी एजेंसी तथा नगर सैनिक के कर्मचारी)	28+17=45	25+20=45
6.	विकलांग आवेदकों के लिए	28+17=45	25+20=45
मध्य प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थियों को किसी भी स्थिति में आयु सीमा में छूट प्राप्त नहीं होगी।			

तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के सभी पदो के लिये अभ्यर्थियों का मध्यप्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. के. ठाकुर, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 23 अप्रैल 2018

क्रमांक एफ 1 (बी)01-2017-पचास-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1 (बी)01-2017-पचास-1, दिनांक 23 अप्रैल 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. के. ठाकुर, उपसचिव.

Bhopal, the 23rd April 2018

F no. 1(B) 01/2017/50-1 :: In exercise of the power conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendment in the Madhya Pradesh Mahila Evam Bal Vikas Class III (Executive) Service Recruitment Rules, 2009, namely :-

AMENDMENT

In the said rules, -

(1) In Scheduled-I, in column (1) for serial number 14 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely :-

S. No.	Name Of the Post included in the service	Total No. of posts	Classification	Scale of Pay	Remark
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
14.	Supervisor	3409	class III	5200-20200+2400	-"-

(2) in scheduled-II, in column (1) for serial number 14 and entries relating thereto, the following serial number and entries thereto shall be substituted, namely :-

Name of Department	Name of Service of Post	Total No. of Posts	Percentage of the number of posts to be filled in			Remark (New Name of Post)
			By Direct Recruitment	By Promotion of Members of the Service	By temporary / transfer/ deputation of persons from other services	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
14. Women and Child Development	Supervisor	3409 (Regular)	100% out of this (50% recruitment through limited selection from Aganwadi workers by direct recruitment) 50% of direct recruitment (out of this 10% filled by male candidates and remaining shall be filled by female candidates) Male Supervisors are appointed for the Insurmountable, mountainous and Forested area only.	-	-	2855 Supervisors working as regular Supervisors post and 554 Supervisors working as contractual supervisors (Dying cadre) total Supervisors are 3409, As and when contractual Supervisors posts shall fall vacant, converted to the posts of regular Supervisors.

(3) in scheduled-III, in column (1) against serial number 5, in column (2), for item (2) and entries relating thereto, the following item and entries relating thereto shall be substituted, namely :-

S. No.	Name of posts	Prescribed age limit		Educational qualification for the post
		Minimum	Maximum	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5.	(2)Supervisor	18 year	25 year (for Female) 25 year (for Male)	(a) Higher Secondary Certificate or 10+2 (12 th) from Madhya Pradesh Examination Board of secondary education and for Anganwadi workers. (b) For Direct recruitment, Graduate degree from any recognized University. (c) 5 years working experience as Anganwadi workers. (d) Additional marks shall be given to experienced working contractual Supervisor, four marks for every complete working contractual Supervisor, four marks for every complete working year with maximum twenty marks shall be given for five years of above working experience.

Note-1: As per Women and Child Development's order no. 1(B) 6/2009/50-1, Dated 28-2-2014 of and there shall be given complete relaxation in age limit for working contractual Supervisors for appearing in the examination and selection in regular cadre. There shall be no age limit for these posts in reference to the cabinet decision dated 18-02-2014.

Note-2: According to General Administration Department circular dated 12-05-2017 maximum age relaxation for resident of Madhya Pradesh shall be as under :-

S. no.	By direct ricruitment	For the posts (Gazetted/Non-Gazetted /Executive) filled by MPPSC	For the post of class III and class IV (Filled by other than MPPSC)
1.	Male applicant (Unreserved)	28+12=40	25+15=40
2.	Female applicant (Unreserved)	28+17=45	25+20=45
3.	Male/Female applicant (Employee of Corporation/Mandal/Autonomous Agency and Home guard)	28+17=45	25+20=45
4.	Male/Female applicant (Reserved category/scheduled caste/scheduled tribes and Other Backward classes)	28+17=45	25+20=45
5.	Male/Female applicant (Reserved category/Employee of Corporation/ Mandal/Autonomous Agency and Home guard)	28+17=45	25+20=45
6.	For handicapped applicant	28+17=45	25+20=45
No age relaxtation for non-resident candidates of Madhya Pradesh in any condition.			

For class III and class IV posts, candidates live registration at employments exchange of Madhya Pradesh is must.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
P. K. THAKUR, Dy. Secy.

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

No. A-561 Jabalpur, the 14/15th February 2019

In exercise of the powers conferred by Article 225 of the Constitution of India Section 54 of the States Reorganisation Act, 1956 clauses 27 and 28 of the letters patent, Section three of the Madhya Pradesh Uchcha Nyayalaya (Khandpeeth ko Appeal) Adhiniyam, 2005, the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendments in the High Court of Madhya Pradesh Rules, 2008, namely:—

AMENDMENTS

In the said rules,—

1. In Chapter-XII,—
   After Rule 6, the following Rule shall be inserted :—

"6A. In a Criminal appeal where a sentence of improsonment for a term 10 yeas or more has been imposed, an application for suspension of sentence shall be posted before the Principal Registrar/Registrar (Judicial) within three days of filing and if no written objection is filed within next three days by the State then the suspension application shall be listed without delay before the bench:

Provided that an application for temporary suspension of sentence on the ground other than on merits shall be posted directly before the bench within three days of filing.''.

A. K. SHUKLA, Registrar General.

मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग

पंचम तल, मेट्रो प्लाजा, बिट्टन मार्केट, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल—462016

भोपाल, दिनांक 7 मार्च 2019

क्रमांक 343/मप्रविनिआ/2019—विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003) की धारा 181(2)(यघ) सहपठित धारा 61 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग, एतद् द्वारा, "मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (पारेषण टैरिफ के अवधारण संबंधी निबन्धन एवं शर्तें) विनिमय, 2016, (पुनरीक्षण तृतीय), {आरजी—28(III), वर्ष 2016} में निम्नानुसार संशोधन करता है :

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (पारेषण टैरिफ के अवधारण संबंधी निबन्धन एवं शर्तें) विनियम, 2016 में प्रथम संशोधन

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ (Short Title and Commencement)**

1.1 ये विनियम **"मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (पारेषण टैरिफ के अवधारण संबंधी निबन्धन एवं शर्तें) विनियम, 2016 (प्रथम संशोधन) {एआरजी—28 (III)(i), वर्ष 2019}"** कहलायेंगे।

1.2 ये विनियम मध्यप्रदेश राज्य के रापजत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

1.3 इन विनियमों का विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य में होगा।

2. **संशोधन/परिशिष्ट (Amendment/Addendum)** : कथित विनियम के विनियम 7 के उपविनियम 7.9 के उपरान्त निम्न जोड़ा जाता है, अर्थात् :

"7.10 दिनांक एक अप्रैल, 2019 से प्रारंभ होने वाली नियंत्रण अवधि हेतु मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (पारेषण टैरिफ के अवधारण संबंधी निबन्धन एवं शर्तें) विनियम की अधिसूचना जारी होने तथा उपरोक्त विनियमों के अनुसार आयोग द्वारा विद्युत—दर के अवधारण होने तक, विद्युत पारेषण अनुज्ञप्तिधारी हितधारक (benefeciary) को आयोग द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2019 की स्थिति में प्रयोज्य विद्युत—दर (टैरिफ) के अनुसार प्रावधिक तौर पर देयक (बिल) प्रस्तुत किया जाना जारी रखेगा :

परन्तु आयोग द्वारा दिनांक 1 अप्रैल, 2019 से प्रारंभ होने वाली नवीन नियंत्रण अवधि हेतु मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (पारेषण के अवधारण संबंधी निबन्धन के रूप में एवं शर्तें) विनियम के अनुसार अवधारित की जाने वाली विद्युत—दर तथा विद्युत पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा हितधारक को प्रस्तुत किये जाने वाले उपरोक्त प्रावधिक देयकों (Provisional bills) के अन्तर की राशि की वसूली/वापसी तत्संबंधी वर्ष की विद्युत—दर (टैरिफ) अवधि की दिनांक 1 अप्रैल को प्रचलित बैंक दर के बराबर साधारण ब्याज दर पर छः समान मासिक किस्तों में की जा सकेगी।"

आयोग के आदेशानुसार,

शैलेन्द्र सक्सेना, सचिव

Bhopal, the 07 March, 2019

No. 343/MPERC/2019 - In exercise of power conferred under section 181(2) (zd) read with Section 61 of the Electricity Act 2003 (No. 36 of 2003), the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission hereby makes the following amendments in the "Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Determination of Transmission Tariff) Regulations, 2016, (Revision-III), [(RG-28 (III) of 2016]" .

First amendment to Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for determination of Transmission Tariff) (Revision-III) Regulations, 2016.

1. Short title and Commencement:

1.1 These Regulations shall be called the "Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for determination of Transmission Tariff) (Revision-III) Regulations, 2016" (First Amendment) [ARG-28(III) (i) of 2019]

1.2 These Regulations shall come in force from the date of their publication in the "Gazette" of the Government of Madhya Pradesh.

1.3 These Regulations shall extend to the whole of State of Madhya Pradesh.

2. **Amendment/Addendum:** In Regulation 7 of said Regulations, the following is added after sub regulation 7.9 namely:

"**7.10** Till notification of Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for determination of Transmission Tariff) Regulations for new control period commencing 1st April' 2019 and determination of tariff by the Commission in accordance with aforesaid Regulations, the transmission licensee shall continue to bill provisionally the beneficiary at the tariff approved by the Commission and applicable as on 31st March' 2019.

Provided that the difference between the tariff to be determined by the Commission in accordance with Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for determination of Transmission Tariff) Regulations for new control period commencing 1st April' 2019 and the above provisional bills raised by the transmission licensee to beneficiary shall be recovered from or refunded to, the beneficiary with simple interest at the rate equal to the bank rate prevailing as on 1st April of the respective year of the tariff period, in six equal monthly installments."

By order of the Commission

Shailendra Saxena, Secretary

श्रम विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 8 मार्च 2019

क्रं. एफ 28-01/2019/ए-16 :: मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 (1958 का क्रमांक 25) की धारा 59 की उपधारा (1) एवं (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन एतद द्वारा मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना नियम, 1959 में और संशोधन करता है जो कि उक्त अधिनियम की धारा 59 की उपधारा (3) के द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार पूर्व में मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 22 फरवरी 2019 को प्रकाशित किये जा चुके है, अर्थात् -

संशोधन

उक्त नियमों में :-

1. नियम 4 एवं 5 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किए जाए, अर्थात्:-

"**4. रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र की विधिमान्यता की कालावधि:-** धारा 6 की उप-धारा (3) के अधीन प्रदान किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र नियोक्ता द्वारा यथा अधिसूचित बंद किए जाने की तारीख तक विधिमान्य रहेगा।

5. रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र का नवीनीकरण :- धारा 6 की उप-धारा (2) के अधीन जारी प्रत्येक रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र स्थापनाओं के उस वर्ग के लिए नीचे विनिर्दिष्ट फीस के भुगतान पर जारी किया जाएगा।

अनु.क्र.	स्थापना का वर्ग	रजिस्ट्रीकरण फीस
(1)	(2)	(3)
1.	तीन कर्मचारियों तक वाली समस्त स्थापनाएं	रूपए दो सौ
2.	तीन से अधिक कर्मचारियों वाली समस्त स्थापनाएं	रूपए दो सौ पचास

परंतु सभी नियोजक, जिन्होने 15 फरवरी, 2014 के पूर्व रजिस्ट्रीकरण प्राप्त कर लिए है, इन नियमों के संशोधनों के पश्चात्, अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करेगें।"

2. नियम 6 में परंतुक में, शब्द "रजिस्ट्रीकरण या नवीनीकरण " के स्थान पर, शब्द "रजिस्ट्रीकरण" स्थापित किया जाए।

No.F 28-01/2019/A-16 :: In exercise of the powers conferred by sub section (1) and (2) of section 59 of the Madhya Pradesh Shops and Establishments Act 1958 (25 of 1958) the State Government hereby makes the following further amendment to the Madhya Pradesh Shops and Establishments rules 1959, the same having been previously published in the Madhya Pradesh Gazette dated 22.02.2019 as required by sub section (3) of section 59 of the said Act, namely :-

// Amendment //

In the said rules,-

1. for rules 4 and 5, the following rules shall be substituted, namely :-

"**4. Period of validity of Registration Certificate.** - The Registration Certificate granted under sub-section (3) of section 6 shall remain valid till the date of closure as notified by employer.

5. Renewal of Registration Certificate. - Every registration certificate issued under sub-section (2) of section 6 shall be issued on payment of a fee specified below for that class of establishments.

S.No.	Class of establishment	Registration fees
(1)	(2)	(3)
1.	All establishments having upto three employees	Rupees Two Hundred
2.	All establishments having more than 3 employees	Rupees Two hundred fifty.

Provided that all the employers who have obtained registration before 15th February, 2014 shall compulsorily obtain registration after the amendments of these rules.".

2. In rule 6, in the proviso, for the words "Registration or renewal", the word "registration" shall be substituted.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मालसिंह, अपर सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2019.